आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Empowerment of Persons with Disabilities

Post-Matric Scholarship for Students with Disabilities

कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

क्या मिल सकता है

फीस में मदद, रखरखाव भत्ता, दिव्यांगता भत्ता और किताबों का भत्ता। दरें कोर्स के हिसाब से दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

किसके लिए है

कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के छात्र जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक है और माता-पिता की आय साल में 2.5 लाख रुपये तक है।

मुख्य शर्तें

- माता-पिता की आय साल में 2.5 लाख रुपये तक।
- 40 प्रतिशत या अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता।
- कोर्स मान्यता प्राप्त संस्था का होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

1. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) पर रजिस्टर करें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर लें।
2. इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरें और कागजात अपलोड करें।
3. पोर्टल पर दिखाई गई आखिरी तारीख से पहले फॉर्म जमा करें। फिर संस्था फॉर्म की जांच करती है।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/DEPDGuidelines_1.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://scholarships.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/DEPDGuidelines_1.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/post-matric-scholarship-pwd/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।